



कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)

Email-cmoharda@mpurban.gov.in

https://nagarpalikaharda.org

क्रमांक 932/लो.नि./2026

conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 16/2/26

//आनलाईन निविदा//

निम्न कार्यों में लगने वाली सामग्री वर्ष 2026-27 हेतु निविदा वेबसाईड www.mptender.gov.in पर विभागीय कार्य हेतु मटेरियल की दरें आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 12/2/26 से 20/3/26 तक क्रय की जा सकती है। बीड सबमिट 20/3/26 समय 5:30 तक निविदा संसोधित होने की स्थिति में वेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है।

क्र	एनआई टी नं.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	दर	अनुमानित राशि लगभग	अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	L913 16/02/26		1. गिट्टी काली 6, MM 2. गिट्टी काली 40, MM	प्रतिघन मीटर	25 लाख	18750	5000	31 मार्च 2027 तक

शर्तें :-

1. निविदा दाता को निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व गत वित्तीय वर्ष तक का आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा दाता को सामग्री का निर्माता/अधिकृत विक्रेता होना अनिवार्य है। निविदा दाता को सामग्री निर्माण का अथवा अधिकृत विक्रेता का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना होगा।
3. सामग्री की दरें प्रस्तुत करते समय निविदा दाता को अपनी फर्म का पंजीयन नम्बर एवं लाईसेंस देना अनिवार्य होगा।
4. सामग्री नगर पालिका द्वारा जारी की गई स्पेशिफिकेशन की प्रदाय करनी होगी।
5. नगर पालिका अपनी सुविधा अनुसार सामग्री लेगी एवं भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करेगी।
6. सामग्री कि आपूर्ति निविदा में दी गई शर्तों व मांग के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए सामग्री का भुगतान सामग्री की जाँच के बाद किया जावेगा।
7. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। इसके लिए कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
8. संविदाकारों से अनुबंध संपादन के समय एक प्रतिशत प्रतिभूति राशि, कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य के मान से जमा करायी जाना होगी।
9. मटेरियल के माप में Void Deduction नियमानुसार किया जावेगा।
10. दरें समस्त कर, रायल्टी, (जी.एस.टी.) सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. प्रदाय आदेश के जारी होने के बाद सात दिवस के अंदर सामग्री उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा अन्य प्रदाय कर्ता से सामग्री प्राप्त कर होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी।
12. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक मान्य होगी।
13. निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में न.पा. की लोक निर्माण शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा